



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२७८ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विनित कुमार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), परियोजना ईमलीखेड़ा, रुड़की, पिटकुल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है :-

१. श्री विनित कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री विनित कुमार रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री विनित कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री विनित कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री विनित कुमार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री विनित कुमार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२७८ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र००), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली / कटफाईल।

(अनुप सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२७९ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विनोद पुरोहित, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), परीक्षण एवं परिचालन २२० कौ०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश, पिटकुल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:—

१. श्री विनोद पुरोहित की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्त्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री विनोद पुरोहित रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री विनोद पुरोहित को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री विनोद पुरोहित द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री विनोद पुरोहित द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री विनोद पुरोहित वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२७९ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/॥), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र००), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक/व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2643023 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1280 / मा०सा०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री शूरवीर सिंह सजवाण, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900-142400, वेतन लेवल-8), परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पिटकुल, देहरादून को 40% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100-177500, लेवल-11) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

1. श्री शूरवीर सिंह सजवाण की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सा०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सा०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री शूरवीर सिंह सजवाण रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री शूरवीर सिंह सजवाण को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री शूरवीर सिंह सजवाण वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1280 / मा०सा०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सा०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), पिटकुल
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
7. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिंग

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2643023 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1281 / मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6

दिनांक: 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री पंकज कुमार लिखवार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900-142400, वेतन लेवल-8), सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को 40% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100-177500, लेवल-11) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

1. श्री पंकज कुमार लिखवार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार लिखवार रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री पंकज कुमार लिखवार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्री पंकज कुमार लिखवार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री पंकज कुमार लिखवार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री पंकज कुमार लिखवार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1281 / मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०स०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), पिटकुल |
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल..... |
5. अधिशासी अभियन्ता (सूप्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..... |
7. सम्बन्धित कार्मिक/व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल |

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1202 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री चन्द्र शेखर, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—8), 132 के०वी० परिंएवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, श्रीनगर को 40% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100—177500, लेवल—11) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:

1. श्री चन्द्र शेखर की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री चन्द्र शेखर रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री चन्द्र शेखर को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्री चन्द्र शेखर द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री चन्द्र शेखर वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1202 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/ डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र००), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
7. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली / कटफाईल।


 (अनुपम सिंह)
 उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1283/मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री भूपेश चन्द्र सती, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), २२० के०वी० परिएवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, हल्द्वानी को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

१. श्री भूपेश चन्द्र सती की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अरथायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री भूपेश चन्द्र सती रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री भूपेश चन्द्र सती को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री भूपेश चन्द्र सती द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री भूपेश चन्द्र सती द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री भूपेश चन्द्र सती वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1283/मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6 तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/II), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैवितक पत्रावली / कटफाईल।


(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२०४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राजीव सैनी, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ४४९००—१४२४००, वेतन लेवल—८), २२० के०बी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, ऋषिकेश को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:

१. श्री राजीव सैनी की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राजीव सैनी रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री राजीव सैनी को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री राजीव सैनी द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राजीव सैनी द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री राजीव सैनी वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२०४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/ डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/॥), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
७. सम्बन्धित कार्मिक/ व्यैक्तिक पत्रावली/ कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिंग

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1285 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्रीमती वीणा, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—8), सामाग्री प्रबन्धन, पिटकुल, देहरादून को 1.33% तकनीकी सहायक (ए०एम०आई०ई०) कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100—177500, लेवल—11) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है।

1. श्रीमती वीणा की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्रीमती वीणा रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉप्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्रीमती वीणा को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्रीमती वीणा द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्रीमती वीणा द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्रीमती वीणा वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1285 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०स०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सूप्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
7. सम्बन्धित कार्मिक/व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।


(अनुप सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि।

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2643023 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1286 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: 30.06.2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राजू सिंह पैथानी, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900-142400, वेतन लेवल-8), 132 के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, भवाली को 40% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100-177500, लेवल-11) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

1. श्री राजू सिंह पैथानी की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अरथात् है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राजू सिंह पैथानी रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री राजू सिंह पैथानी को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्थान ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्री राजू सिंह पैथानी द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राजू सिंह पैथानी द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री राजू सिंह पैथानी वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार "शून्य" से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1286 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), पिटकुल
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र००), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
7. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली / कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1287 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री कुलदीप जोशी, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), 220 के०वी० परियोजनाएँ उपकेन्द्र, पिटकुल, झाझरा को 40% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 56100—177500, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

1. श्री कुलदीप जोशी की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
2. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री कुलदीप जोशी रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पैपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. श्री कुलदीप जोशी को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. श्री कुलदीप जोशी द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री कुलदीप जोशी द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. श्री कुलदीप जोशी वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1287 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०स०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
7. सम्बन्धित कार्मिक / व्यक्तिक पत्रावली / कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि।

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२४४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३० .०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री राम वशिष्ठ, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ४४९००—१४२४००, वेतन लेवल—८), परियोजना क्रियान्वयन नॉन ए०डी०बी० महुवाखेड़ागंज, पिटकुल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-


१. श्री राम वशिष्ठ की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री राम वशिष्ठ रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री राम वशिष्ठ को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री राम वशिष्ठ द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री राम वशिष्ठ द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री राम वशिष्ठ वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: १२४४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०स०) / (वित) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।


(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० ०१३५-२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५-२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२८९/मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री शिवचरण कुमार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900-142400, वेतन लेवल-८), २२० के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, चम्बा को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००-१७७५००, लेवल-११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

१. श्री शिवचरण कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री शिवचरण कुमार रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री शिवचरण कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश खतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री शिवचरण कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री शिवचरण कुमार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री शिवचरण कुमार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२८९/मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-६ तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०-निदेशक (मा०स०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/II), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली / कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ ईमेल:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२९० / मा०स०ए०व्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विशाल कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), २२० के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, ऋषिकेश को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:—

१. श्री विशाल कुमार वर्मा की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री विशाल कुमार वर्मा रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टार्म्प पैपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री विशाल कुमार वर्मा को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री विशाल कुमार वर्मा द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री विशाल कुमार वर्मा द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री विशाल कुमार वर्मा वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२९० / मा०स०ए०व्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्र००), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक/व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002
दूरभाष नं० 0135—2643023 फैक्स नं० 0135—2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1291 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री सुनील कुमार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), परियोजना क्रियान्वयन नॉन ए०डी०बी० लालकुआँ, हल्द्वानी, पिटकुल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है।

१. श्री सुनील कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री सुनील कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री सुनील कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री सुनील कुमार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री सुनील कुमार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: 1291 / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-6 तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/II), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सूप्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुप सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२९२ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विनय लिंगवाल, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), १३२ के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, सतपुली को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता हैः—

१. श्री विनय लिंगवाल की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—I) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०स०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०स०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री विनय लिंगवाल रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री विनय लिंगवाल को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री विनय लिंगवाल द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री विनय लिंगवाल द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री विनय लिंगवाल वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२९२ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव / डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०स०) / (वित) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—I/II), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली / कटफाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२९३ /मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री विकास कुमार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ४४९००—१४२४००, वेतन लेवल—८), १३२ के०वी० परिं०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, बिन्दाल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता हैः—

१. श्री विकास कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री विकास कुमार रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉप्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री विकास कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री विकास कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री विकास कुमार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री विकास कुमार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२९३ /मा०स०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/II), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक / व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।



(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२९४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री रविन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ४४९००—१४२४००, वेतन लेवल—८), प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र, पिटकुल को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:-

१. श्री रविन्द्र कुमार की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्त्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्री रविन्द्र कुमार को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्री रविन्द्र कुमार द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री रविन्द्र कुमार द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्री रविन्द्र कुमार वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक


पत्रांक: १२९४ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०) / (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/II), पिटकुल।
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
७. सम्बन्धित कार्मिक/व्यैक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुप सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं० ०१३५—२६४३०२३ फैक्स नं० ०१३५—२६४५२४९ email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: १२९५ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्रीमती स्वाति वर्मा, अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० 44900—142400, वेतन लेवल—८), २२० के०वी० परि०एवंअनु० उपकेन्द्र, पिटकुल, रुड़की को ४०% सामान्य कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान रु० ५६१००—१७७५००, लेवल—११) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:—

१. श्रीमती स्वाति वर्मा की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी है। उन्हें बिना कोई कारण बताये अथवा पूर्ण नोटिस/सूचना दिये बिना उनके मौलिक पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्त्तित किया जा सकता है।
२. उपर्युक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्धाधीन की जा रही है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता (स्तर—१) से लेकर सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०), महाप्रबन्धक (मा०सं०) तथा उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०) के पदों पर की गयी प्रतिबन्धाधीन पदोन्नतियों के फलस्वरूप यदि कोई कार्मिक अपने मूल पद पर वापस किया जाता है तो पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी अपने—अपने मूल पदों पर वापस हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को भी उनके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में श्रीमती स्वाति वर्मा रु० १००/- (रु० एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देंगे कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें उनके मूल पद पर वापस आने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
३. श्रीमती स्वाति वर्मा को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ०७ दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश खतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
४. श्रीमती स्वाति वर्मा द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
५. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्रीमती स्वाति वर्मा द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना उपरोक्त शपथ पत्र के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
६. श्रीमती स्वाति वर्मा वर्तमान स्थान पर ही सहायक अभियन्ता (वि०एवंया०) के पद का कार्यभार “शून्य” से ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान पद के कार्यदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: १२९५ / मा०स०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईएस-६ तददिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

१. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
२. निजी सचिव/डी०ई०ओ०—निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
३. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—१/II), पिटकुल
४. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल
५. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
६. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
७. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिक पत्रावली/कटफाईल।

(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)